

8.4.22

मनाबली फेरा हुई वकील पदकारान उपाधित
वकील वकील द्वारा प्रशासन अनुसार दिने प्रदान के बाद
भी प्रोत्साहनों को नियमानुसार तामिल नहीं कराई
गई है।

आतः मनाबली तामिल के अभावमें प्रोत्साहनों को
न्यायालय स्वयं सनवार-वार-आवाज काबाने पर
उपाधित नहीं आये। इस कारण अन्तत आदेश —
09 नियम 05 के तहत तामिल को जारी है। मनाबली
मामल सुमार दोषार नम्बर से काम होकर डाकेस
दण्ड हो। कि वाम तुल्य न्यायालय में सुनाया गया।

